

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हरियाणा, गुरुग्राम—122001

नोटिस

हरियाणा राज्य में स्थित डी.एल.एड. कोर्स को संचालित कर रही सभी स्वयंपौष्टि संस्थाओं के प्राचार्यों को अवगत कराया जाता है कि अभ्यार्थियों को डी.एल.एड. वर्ष 2020–22 में प्रवेश देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए तथा विभागीय नियमों की दृढ़ता से पालना की जाए—

1. अभ्यार्थियों से ली गई फीस उसी दिन बैंक में जमा करवाई जाए। अवकाश होने की परिस्थिति में अगले कार्य दिवस को।
2. संस्था में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के वेतन का भुगतान चैक द्वारा किया जाए।
3. डी.एल.एड. की परीक्षा से पूर्व छात्र अध्यापकों के 10+2 के प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड से वैरिफाई करवा लिए जाएँ।
4. परीक्षा से पूर्व सभी छात्र अध्यापकों के मूल प्रलेख/प्रमाण पत्र हर अवस्था में लौटा दिए जाए तथा पावती प्राप्त कर ली जाए।
5. डी.एल.एड.कोर्स की फीस विभागीय नियमानुसार प्रवेश के समय ही ली जाए।
6. छात्र अध्यापकों के प्रवेश उपरांत उन द्वारा जमा करवाए गए सभी दस्तावेजों की फोटोप्रति आप द्वारा सत्यापित करके परिषद् में भेजें।
7. डी.एल.एड. वर्ष कक्षाएं आरंभ होने से पूर्व अपनी संस्था में कार्यरत स्टाफ एन.सी.टी.ई. के नये नियमानुसार एप्लूव करवाया जाए। किसी भी स्टाफ सदस्य के संस्था को छोड़कर चले जाने की अवस्था में नियुक्त किए गए स्टाफ सदस्य की स्वीकृति लें।
8. डी.एल.एड. प्रथम वर्ष की नियमित/ऑनलाइन कक्षाएँ 09.11.2020 से आरम्भ की जाएंगी।

डा० ऋषि गोयल
निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, हरियाणा, गुरुग्राम-122001

नोटिस

हरियाणा राज्य में स्थित सरकारी एवं स्वयंपोषित संस्थानों को सूचित किया जाता है कि डी.एल.एड. काउंसिलिंग के उपरान्त ऑन लाईन ही अपने-अपने संस्थानों की स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करनी है। इसके लिए पासवर्ड एवं कन्ट्रोल आई.डी. नम्बर पहले ही दी जा चुकी है और स्वयंपोषित संस्थानों द्वारा निम्न दस्तावेज जमा करवाने हैं:-

1. निर्धारित फीस से अधिक फीस चार्ज न करने के संबंध में 10/- रुपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।

2. निर्धारित स्टाफ स्टेटमैंट प्रपत्र पर स्वीकृति की प्रति।

नोट:- किसी भी स्वयंपोषित संस्थानों की फीस संबंधी शिकायत इस परिषद् में प्राप्त होने पर अधिक फीस मांगने/लेने की पुष्टि हो जाती है तो उस अवस्था में संस्थान को भविष्य में होने वाली डी.एल.एड. काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ की CWP NO. 6202@2011 के दिशा-निर्देशानुसार 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

डा० ब्रह्म गोयल

निदेशक

४८
२९/१०/२०२०